

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/17
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00014
CICOM/R/2019/00051

दिनांक: 23.01.2019

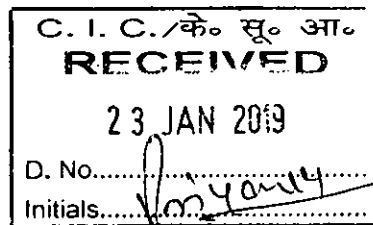
अपीलकर्ता : श्री राममनोरथ तिवारी,
ग्राम व पो0 - नन्हीली (अमानीगंज),
जिला - अयोध्या (फैजाबाद),
उत्तर प्रदेश - 224121.

निर्णय की तारीख: 23.01.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	04.12.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.01.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	14.01.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	30/22.01.2019 (7706/17.01.2019)

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 04.12.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 31.10.2012, 20.10.2013 एवं 30.10.2013 के पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थीं। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 04.12.2018 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 09.01.2019 को प्राप्त हुआ तथा आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 11.01.2019 को श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित किया गया। श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा वांछित सूचना दिनांक 16.01.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00051/CR-1 के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है, प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है। श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

9/6

23/01/19



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैम्पस,
नई दिल्ली - 110067

संचित संख्या: CICOM/R/2019/00051/CR-1

दिनांक : 16.01.2018

सेवा में,

श्री राम मन्चेरथ तिवारी
ग्राम - पोस्ट - नन्दौली
जिला - अयोध्या, फैजाबाद - 224121
उत्तर प्रदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (4)5 के तहत सहायता लेने बाबत ।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 04.12.2018, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 11.01.2019 को संख्या CICOM/R/2019/00051 के तहत अपीलार्थी को सूचना प्रदान करने हेतु CPIO RTI (Cell) द्वारा अधोहस्ताक्षरी को transfer करने पर जास हुआ ।

आपको सूचना प्रदान कराने हेतु I/C (डाक अनुभाग) से RTI Act की धारा 5(4) के तहत सहायता मांगी गई । उनके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी जो कि self explanatory है अतः जवाब का पत्र दिनांक 14.01.2019 (in original) संलग्न है ।

यदि आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है - श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैम्पस, नई दिल्ली 110067 ।

६

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप-सचिव- /सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1

संलग्न: उपरोक्त (in original)

प्रतिलिपि: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

17/1/19

२- २५/१/१९

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप-सचिव- /सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1

२
17/1/19

Deputy Secretary & CPIO (CR-1)
(Dak Section)

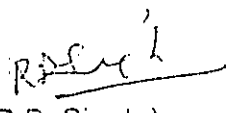
File No.3/1/2018/Dak Section
CICOM/R/2019/00051/CR-I

Date 14-01-2019

Sub: Assistance u/s 5(4) of the RTI Act. 2005 - reg.

Sir,

With reference to your letter no. CICOM/R/2019/00051/CR-I dated 14-01-2019, it is stated that Software of the Commission does not reflect receipt of letters dated 31-10-2012, 20-10-2013 & 30-10-2013, from Sh. Ram Manorath Tiwari, Vill. & Post Nandouli, Distt. Ayodhya (Faizabad).


(R.P. Singh)
I/c (Dak Section)

Deputy Secretary & CPIO(CR-1)